



## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार, विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक : 30-06-2022 की संस्तुति के आधार पर कु० मीनाक्षी भट्ट, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर का स्थानान्तरण श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खटीमा के रिक्त पद पर किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


  
(संजय कुमार)  
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।

कार्यालय : श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी। 

संख्या : 2458 /स्था०-दो-297-वार्षिक स्थाना०/2005 दिनांक : 8-7-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1- सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
- 2- अपर/उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी। कृष्णसिंह नगद।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
- 5- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर / खटीमा।
- 6- लेखा प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- निजी पत्रावली हेतु।


  
(संजय कुमार)  
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार, विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक : 30-06-2022 की संस्तुति के आधार पर श्रीमती पिकी टम्टा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून का स्थानान्तरण श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ऋषिकेश के रिक्त पद पर किया जाता है।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

  
(संजय कुमार)  
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।

कार्यालय : श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी। 

संख्या : 2457 /स्था०-दो-297-वार्षिक स्थाना०/2005 दिनांक : 8-7-22  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
- 2- अपर/उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
- 5- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ऋषिकेश/देहरादून।
- 6- लेखा प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- निजी पत्रावली हेतु।

  
(संजय कुमार)  
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।